24/04/14

वकुलाम फरीकैन गैरहाजिर वकील वाकियान व वाकियान को आवाज दिलाई गई। काफी आवाज दिलाने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने से वाद वाकियान अदम पैरवी अदम हाजरी खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल मुकदमा हजा नंबर से कम की।

उपखण्ड अधिकारी
तातारीगढ़